न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम हारून

मु0अ0सं0—153/2018
धारा—3/5/8 सी0एस0एक्ट
थाना—डिलारी

08.08.2018

अभियुक्त हारून की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0—153/2018 धारा— 3/5/8 सी0एस0एक्ट थाना—डिलारी जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 45 किग्रा0 गोवंशीय मांस बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त हारून की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र धारा— 3/5/8 सी0एस0एक्ट में निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा